

स पत्रावली दिनांक 29.8/24 को पेश है।

29/8/24

पत्रावली पेश हुई। वादीगण मथ कापि वक्ता
उपस्थित नहीं। वकील प्रतिवादी उपर्युक्त वादीगण
व उनके कापि वक्ता न्यायालय में हाजिर
नहीं आए। इतना लिखने पर वकील वादी
ने हिरायात पेश्वी नहीं होना चाहिए किंतु
जानि से वादीगण का वाद काफ़ल होजरी व
आदत पेश्वी में तारीख किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

हिरायात पेश
रम 1
29/08/2024